पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

सबसे अच्छा थाना

जयपुरः यहाँ एक थाने को, इसकी सरल जनसेवा और केसों के शीघ्र निपटारे के लिए एशिया में सर्वोत्तम माना गया है,विद्यायकपुरी पुलिस थाना जो कि शहर के दक्षिण हिस्से में स्थित है और तकरीबन एक लाख की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। यह चुनाव दुनिया भर के २० देशों के २११ शहरों के थानों में से किया गया है जिसमें ब्राजील, मलेशिया, मेक्सिको आदि जैसे देश शामिल थे। दक्षिण जयपुर के एस.पी. श्री जोश मोहन ने खुशी जताते हुए पी.टी.आई. को कहा कि यह सम्मान सभी लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। इस थाने के कार्यक्षेत्र में शहर की अत्यंत महत्वपुर्ण सड़कें और व्यवसायिक गलियां शामिल हैं।

यह पुरस्कार न्युयार्क स्थित ''अल्टस ग्लोबल अलायंस'' नामक संस्था, जोकि दुनिया भर में 'जनसुरक्षा और न्याय' के मुद्दे पर काम कर रही है, द्वारा दिया गया ।

जिस प्रकार इस संस्था ने पुलिस कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हुए एक थाने को पुरूस्कृत किया है, इसी तरह स्थानीय सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी पुलिस द्वारा अच्छे काम करने पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और वो अपने काम को अच्छी तरह करने को प्रेरित होगी। हो सकता है ऐसी चीजों का असर बहुत अच्छा न हो पर धीरे-धीरे ही सही, अच्छा कहलाने की चाह में कुछ तो रवैया ज़रूर बेहतर होगा।

(सौजन्यः टाइम्स ऑफ इंडिया, २५ फरवरी२०१०)

लखनऊ ए.टी.एस.में नए हथियार और २०० कमाण्डो

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐंटी टेरर स्कॉयड (ए.टी.एस.) पी.ए.सी., एस.टी.एफ. तथा पुलिस मुख्यालय के अफसर डिफेंस एक्सपो २०१० जो कि दिल्ली में होने वाला है, का दौरा करके आधुनिक वाहन, उपकरण तथा आतंक विरोधी, नक्सल विरोधी और दंगा नियंत्रण के लिए हथियारों को चिन्हित करेंगे ताकि इसे खरीदा जा सके। डी.जी.पी. कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया अनमैन्ड एरियल वेहीकल (यू.ए.वी.), खरीदने का फैसला पहले ही ले लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस माइन प्रोटेक्टेड वेहीकल पर भी नजर रखी जाएगी जिससे पुलिस टीम को आतंक विरोधी या नक्सल विरोधी आपरेशनों के दौरान ट्रांसपोर्ट करने का काम आसान हो सके।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सुरक्षा बलों की मजबूती की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश ऐंटी टेरर स्कॉयड (ए.टी.एस.) के लिए एक नए ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए ७० करोड़ रूपये का योगदान दिया है। यह ए.टी.एस. स्कूल लखनऊ पुलिस लाईन, जो कि ६२ एकड़ में फैला हुआ है वहीं बनाए जाने का फैसला लिया गया है, में अगले ६ महीने के अन्दर २०० कमाण्डो का एक नया बैच जिसे 'ब्लू हॉक' कहा जायेगा, जुलाई २०१० तक तैयार होने की उम्मीद है। यानि अगले ३-४ महीनों में यह पता लग जाएगा कि यह सहयोग कितना कारगर है।

राज्य सरकार की इस कोशिश को हाल ही के आतंकी हमलों को देखते हुए एक सकारात्मक क़दम कहा जा सकता है। वहीं ए.टी.एस के अलावा जो सामान्य (सिविल) पुलिस है उसका क्या? क्या उनकी कोई नयी ट्रेनिंग या उनके लिए नए हथियार खरीदने की कोई योजना है? क्या सरकार के पास सामान्य पुलिस की ट्रेनिंग पर हर साल कितने पैसे खर्च हों इसकी कोई नीति है? क्या बदलते हालात में तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण का कोई प्रावधान कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए है? आशा है, इस ओर भी उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान जाएगा और कार्यरत पुलिस अधिकारियों की लगातार कुछ अन्तराल पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ए.टी.एस. से पहले हर आम नागरिक और व्यवस्था पर आनेवाली मुसीबत का सामना यही पुलिस करती है।

(सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस.कॉम १४ और १६ फरवरी)

संघ राज्यों के लिए प्रथम सुरक्षा आयोग

दिल्लीः पुलिस के रोजमर्रा के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की परेशानी को समझते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सुरक्षा आयोग स्थापित करने का आदेश दिया था। अदालत के विचार में सुरक्षा आयोग का काम एक पहरेदार का होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि ''राज्य पुलिस और उसके दिशानिर्देशों पर राजनीतिक प्रबंधकारों का अनुचित हस्तक्षेप या दबाव न हो ताकि राज्य पुलिस हमेशा देश के संविधान और कानून के अनुसार अपना काम कर सके''।

३ मार्च २०१० को गृह मंत्रालय ने सभी संघ राज्यों के लिए पहला सुरक्षा आयोग स्थापित किया। इस प्रथम सुरक्षा आयोग के प्रमुख संघ गृह सचिव होंगे और दिल्ली, अण्डमान व निकोबार, पौंडिचेरी के मुख्य सचिव, दिल्ली के पुलिस कमिशनर और दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा केन्द्र द्वारा पाँच स्वतंत्र सदस्य भी चुने जाएँगे। इस आयोग में ब्युरोक्रेट की संख्या अधिक होगी और सबसे अहम बात यह है कि इस पर दिल्ली का वर्चस्व होगा।

साथ ही, इस आयोग के गठन में उन सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है जिनका यह प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरे राज्यों के पूलिस मुख्य को तो इस आयोग में स्थान ही नहीं मिला है। इस आयोग के गठन से सुप्रीम कोर्ट का मकसद था एक ऐसी द्विदलीय संस्था बनाना जो पुलिस के लिए नीतियों को बना सके। इसे ऐसा डिजाईन इसलिए दिया गया था ताकि कोई एक पार्टी इसपर कब्जा न कर ले। लेकिन वर्तमान आयोग के गठन से वह मकसद पूरा नहीं होगा।

आयोग का काम होगा, पुलिस के लिए नीतियाँ बनाना, पुलिस संगठन के कामकाज का निरिक्षण, मुल्यांकन और कार्य उपलब्धि के सूचक तैयार करना। संघ राज्यों के लिए गठित आयोग को दिए गए कामों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि केवल एक केन्द्र शासित संस्था इस काम को नहीं कर सकती। नीति दिशानिर्देश बनाना, विभागीय उपलब्धियों का सूचक तैयार करना आदि कामों के लिए स्थानीय मुददे और कठिनाईयों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यह ज़ाहिर है कि दिल्ली जैसे महानगर में पुलिस की परेशानियाँ और मुददे, दूसरे द्विप जैसे दमन, लक्षद्वीप आदि के पुलिस मुददों से बहुत अलग होंगे।

सी.एच.आर.आई. के विचार में, वर्तमान सुरक्षा आयोग एक अवास्तविक और ग़लत मॉडल होगा जो केवल आड़ी-तिरछी नीतियों और सूचक ही बना सकेगा। हम अपने अगले अंक में बताएँगे की इस कमीशन में क्या-क्या कमियाँ हैं और सही ढ़ाँचा कैसा होना चाहिए। हम इस बारे में आपके विचारों को भी जानना चाहेंगे। आप हमें अपनी राय इस बारे में बताएँः क्या सारे संघ राज्यों के लिए केवल एक ही सुरक्षा आयोग होना चाहिए या फिर प्रत्येक के लिए एक अलग आयोग हो? क्या आपके विचार में आयोग अपने वर्तमान प्रारूप में तमाम कामकाजी फैसलों की जिम्मेदारी को बिना राजनीतिक दबाव के पूरा कर सकेगा? आपके विचार बहुत मायने रखते हैं, हमें अवश्य बताएँ।

(सौजन्यः http://www.mha.nic.in/pdfs/OM-UT110310.pdf, १२ मार्च २०१०)

लोक पुलिस के इस अंक में कई लेख हैं। इन्हें पढ़ते हुए आपके मन में कई विचार उभरकर आए होंगे। हो सकता है आपकी राय में हमसे कुछ छूट गया हो या हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष न हो। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में छापेंगे। आपकी राय महत्वपूर्ण है। आपकी राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय, बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली:११००१७, भारत
टेलीः +९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्सः +९१ ११ २६८६ ४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org

सी.एच.आर.आई.

अंक २ अप्रैल २०१०

लोक पुलिस

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

मासिक पत्रिका

पुलिस सुधार – अहम मुद्दा

गृह सचिव श्री गोपाल कृष्णा पिल्लई पुलिस सुधार पर काफी आशावादी और विश्वस्त हैं। उनके अनुसार उनके कार्यकाल के तकरीबन १४ महीनों में यह उनका सबसे अहम मुद्दा है। पिल्लई सिर्फ पुलिसकर्मियों के भर्ती के तरीकों से ही वास्ता नहीं रखते बल्कि भारत के पुलिस बल में वास्तविक कमी की भी उन्हें चिंता है।

''भारत की ६० प्रतिशत सुरक्षा सम्बन्धित कठिनाईयां इसलिए हैं क्योंकि पुलिस सुधार नहीं हुआ, हम इसे बदलना चाहते हैं। शुरूआत भर्ती के तरीकों से करेंगे। आज के हालात क्या हैं? अगर एक पुलिस अधिकारी योग्यता के आधार पर आता है तो वह अपने काम में अच्छा होता है, लेकिन अगर वह पुलिस में भर्ती के लिए पैसे देता है तो अपना बाकी का कार्यकाल उन्हीं स्रोतों को ढूंढ़ने में लगा देता है जहां से वह अपने 'निवेश' की पुर्ती कर सके। इसलिए भर्ती प्रक्रिया को साफ़ और पारदर्शी करना ही पड़ेगा।'' पिल्लई ने कहा, इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य सरकारों को भर्ती प्रक्रिया को

> ''पुलिस प्रशिक्षण आवश्यक है और हम प्रक्रिया को ठीक कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था की वर्तमान कमियों को ठीक किया जा सके''

दोहराने के लिए कहा गया है, जिसमें ऐसे विषयों को कम महत्व देने को कहा गया है जहाँ मनमानी की गुंजाइश है। इसके अनुसार राज्यों को भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार को कम तथा शारीरिक योग्यता को अधिक महत्व देने को कहा गया है।

उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले भर्ती के नए दिशा निर्देश पर काम किया है। नयी व्यवस्था से २०,००० पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और यह वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती के साथ जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि राज्य एक साल में ८०,००० पुलिस कर्मियों की भर्ती करे। इसके बाद पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का सवाल है। हम पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाना चाहते हैं और हमने १३वीं वित्त कमीशन को लिखा है कि हॉलाकि किसी राज्य ने पैसे नहीं मांगे हैं, लेकिन राज्यों को ख़ास तौर से इस काम के लिए पैसों की जरूरत है। आई.ए.एस. और आई.पी.एस.अधिकारियों के लिए पहले से ही प्रशिक्षण संस्थान हैं लेकिन सब इंसपेक्टर और कांन्सटेबलों के लिए ऐसा कोई संस्थान नहीं है। पिल्लई ने यह भी कहा कि यह भी एक कारण है कि भारतीय पुलिस द्वारा सज़ा दिलाने का दर इतना कम है। उन्होंने कहा कि नये भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को थोड़ी या बिना ट्रेनिंग के ही काम पर डाल दिया जाता है ताकि वह अपने काम से ही प्रशिक्षण लें, उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि एक फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) कैसे लिखी जाए। ''पुलिस प्रशिक्षण आवश्यक है और हम प्रक्रिया को ठीक कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था की वर्तमान कमियों को ठीक किया जा सके'' उन्होंने कहा।

पुलिस के राजनीतिकरण का क्या? पिल्लई ने इस परेशानी के बारे में भी बतलाया। ''तबादले पुलिस ईस्टैबलिश्मेंट बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एस.पी.) का कार्यकाल औसतन दो महीने का होता है। उन्हें एक ऐसे जिले में भेज दिया जाता है, जहां क्या करना है यह समझने से पहले उनका तबादला हो जाता है। तबादले सबसे आसान होते हैं। मैं इस बारे में बेहिचक कह सकता हूं कि श्री ए. के. अन्टोनी जो मेरे मुख्यमंत्री थे जब मैं उनका स्पेशल असिस्टेंट था, वह अपने काम में क़ाबिले तारीफ़ थे । वह पुलिस कर्मियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से मना कर देते थे। लेकिन अगर कुछ गलत होता था तो एस.पी. को जिम्मेदार ठहराया जाता था। दूसरी तरफ एक एस. पी. की नियुक्ति किसी एम.एल.ए. ने करवायी है तो उसे उस एम.एल.ए. का गुलाम बनकर रहना होता है। यह हर स्तर पर होता है चाहे वह एस.आई. हो या एस.पी.'', पिल्लई ने ये सब तबादले के नियमों पर काम करते हुए कहा।

– अदिति फादनिस

पुलिस – अनदेखा किया गया बलिदान

इस देश में पुलिस की हमेशा आलोचना की जाती है। कारण है, पुलिसकर्मियों द्वारा की गई अनेक प्रकार की गलतियां। हॉलाकि पुलिस अधिकारियों की एक मुख्य शिकायत यह है कि जहां व्यक्तिगत असफलता का मिडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है, वहीं संस्था की सफलता को मिडिया द्वारा हमेशा से नजर अन्दाज़ किया जाता रहा है। समूचे पुलिस बल की सफलता और अच्छाईयां, किसी एक पुलिसकर्मी की गलती के कारण हमेशा के लिए मार दी जाती हैं और इससे जनता में पुलिस के प्रति गुस्सा और विरोध की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस बल ने देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न हालातों में बहुत अच्छे काम किये हैं। कई क्षेत्रों में इसके बूरे और नीरस कार्यों के रिकार्ड के बावजूद इस देश की पुलिस अव्यवस्था के खिलाफ़ कामयाबी से डटे रहने का श्रेय लेने की हकदार है। देश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिसमें बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था में गड़बड़ी कभी न आई हो। हर दशक ने अपनी तरह की हिंसा और अपराध को अनुभव किया है, जबकि पिछला दशक इस मामले में सबसे बुरा रहा है, इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीमा पार के दुश्मनों द्वारा आतंकवादी हमलों की वजह से चुनौती बनी रही।

पुलिसकर्मियों ने हमेशा इन मुश्किल हालातों में काम किया है और इसी कोशिश में लगे रहे कि कानून और व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा को काबू में रखा जा सके। ऐसा करने की कोशिश में उन्हें बहुत

(शेष पृष्ट ३ पर)

भारत में काम के दौरान मरने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या (१ सितम्बर – ३१ अगस्त):

२००० – ०१	१११९
२००१ – ०२	६७५
२००२ – ०३	६५०
२००३ – ०४	८६४
२००४ – ०५	८८५
२००५ – ०६	६८४
२००६ – ०७	७१६
२००७ – ०८	६८०

सामुदायिक पुलिस - लोकतंत्र की प्रयोगशाला

'सामुदायिक पुलिस' या 'पड़ोसी पुलिस' की धारणा और प्रचलन भारत में और विदेशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। आमतौर पर 'सामुदायिक पुलिस' एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जो पुलिस और आम आदमी के बीच की दूरी मिटाने के लिए एक कड़ी का काम करती है। हर समाज में कानून एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेना धीरे-धीरे आवश्यक होता जा रहा है।

हाल ही में इसी कड़ी को मजबुत बनाने की दिशा में गाजियाबाद के एक एस. पी. (ग्रामीण) ने एक नयी शुरूआत की है। उन्होंने ११६ गांवों के तकरीबन २५०० लोगों के विवरण वाली एक डायरेक्टरी तैयार की है, जिससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विभिन्न केसों के जांच पड़ताल में जानकारी ले सकेंगे। इस डायरेक्टरी में ऐसे लोगों का नाम डाला गया है जिनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और जो थोड़े पढ़े-लिखे, कामकाजी और ईमानदार लोग हैं जो कम से कम मोबाईल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस की इस कोशिश से लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न हुई है और अब वह किसी भी गड़बड़ी की शिकायत करने में हिचकिचाते नहीं। अगर पुलिस जनता का विश्वास जीतना चाहती है तो उसे किसी न किसी रूप में जनता को भागीदारी देनी ही होगी।

इंगलैड ओर वेल्स में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों के अनुसार उनसे जुड़ाव कर रही है। पिछले कुछ सालों में यह बात सामने आयी है कि पुलिस अधिकारी दूसरे काग़ज़ी कामों के बोझ तले दबे हुए हैं और आम लोगों का उन तक पहुंचना काफी मुश्किल है।

इन कारणों से यहां की पुलिस 'पड़ोसी पुलिस' के रूप में सामुदायिक स्तर पर बदलाव महसूस कर रही है। यहाँ 'पड़ोसी पुलिस' की मौजूदगी ,एक नया और देर तक कायम रहने वाला कारगर तरीका नजर आ रहा है। इससे जीवन शैली को अधिक सुखद बनाने में जरूर मदद मिलेगी और पुलिस में लोगों का विश्वास भी बढ़ने की सम्भावना दिख रही है।

इस नये पुलिसिया समुदाय को पुलिस कम्युनिटी सपोर्ट ऑफिसर (पी.सी. एस.ओ.) कहते हैं। इनके कारण इंगलैंड और वेल्स की गलियों पर अधिक मात्रा में पुलिस की मौजूदगी महसूस हो रही है। हर समुदाय में एक 'पड़ोसी पुलिस' टीम की स्थापना की गई है और ये स्थानीय लोगों को पुलिस के साथ बेहतर तालमेल कराने में मदद करते हैं। इनकी लगातार मीटिंग होती है और अपराध रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

कई बार पुलिस के काफी दूर होने की वजह से एक खास समुदाय को सुरक्षित महसुस कराना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंगलैंड और वेल्स में पुलिस ने 'पड़ोसी पुलिस' के रूप में समुदाय से हर हाल में जुड़े रहने का प्रण किया है और इससे पुलिस के अच्छे भविष्य की अपेक्षा की जाती है।

– टोबे डाईथम स्विफ्ट
submityourarticle.com

संवेदी पुलिस: सशक्त समाज

बदलते समय की मांग के अनुसार, हरियाणा पुलिस अकादमी ने भी पुलिस-जनता के जुड़ाव के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है: 'संवेदी पुलिस - सशक्त समाज' यानि पुलिस के संवेदनशील व्यवहार से समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। इसमें अकादमी के अधीन आनेवाले मधुबन थाने के २७ गाँवों को 'गोद' ले लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़ाना है, ताकि दोनों पक्षों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़े और लोकतांत्रिक पुलिस का ढांचा खड़ा किया जा सके।

पुलिस अकादमी के इस 'संवेदी पुलिस - सशक्त समाज' कार्यक्रम का अच्छा संचालन करने के लिए अकादमी के अन्दर पुलिस कर्मियों का एक ग्रुप बनाया गया है जिन्हें इस काम के लिए तरह-तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। इस ग्रुप में पुरूष और महिलाएं हैं और ये तरह-तरह की प्रक्रियाओं में शामिल होकर इस काम को करते हैं। यहाँ कानूनी प्रशिक्षण, सामाजिक सोच पर चर्चाएं, पुस्तक मेला और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। यह ग्रुप जनता के साथ और अकादमी में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के साथ काम करता है। कार्यक्रम के शुरूआत में सबसे पहले आम जनता की रोजमर्रा की ज़रूरतों का जायज़ा लिया गया। ऐसा करने के लिए सभी गाँवों में एक-एक करके खुले तौर पर मीटिंग की गई जिनमें लोगों की पुलिस से सम्बन्धित दिक्कतों की बात हुई। इस संवाद से निकलकर आया कि लोगों की परेशानियां मुख्यतः इन बातों से है: - शराब पीकर बुरा व्यवहार करने वाले लोग, मेढ़बंधी करना, कूड़ा फेंकना, नालियों के निकास, पैसों के लेन-देन के मामलों में छोटे-मोटे झगड़े और प्रशासन से जूड़े कुछ मुद्दे जैसे: पानी, बिजली, सड़क, राशन न मिलने की समस्या इत्यादि। सामाजिक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत मधुबन थाने के अन्तर्गत आने वाले २७ गांवों में मुख्य मुद्दे समझने के बाद हर गांव में 'सामुदायिक निगरानी मंच' का गठन किया गया। नागरिकों की इस समिति का दायित्व है, पुलिस और जनता के बीच में जुड़ाव व सहायता का काम करना और गांव में होने वाले छोटे - मोटे झगड़ों का संवाद द्वारा निपटारा करना। उनका काम समाज में सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना भी है। समिति के सदस्यों को एकादमी में मध्यस्थता के तरीके और कानूनी पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह समितियां ऐसे झगड़ों का निपटारा करवाती हैं जिनमें आगे बढ़कर अपराध होने की सम्भावना होती है। गांव के लोग इस प्रक्रिया से खुश हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि उनके झगड़े अब गांव में सुलझ जाते हैं और अपने मामलों में उनकी भागीदारी है। इस प्रक्रिया के कई फायदे हैं - थाने में पुलिस कर्मियों के व्यवहार से सम्बन्धित शिकायतें कम हो गई हैं। पुलिस की कार्यवाही और उनकी शक्तियों की जानकारी लोगों में बढ़ी है। सरकारी सम्पत्ति को गुस्से में नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में कमी आई है। महिलाएं अपने मुद्दों को रखने में सक्षम हुई हैं और गांव के मुद्दों की चर्चा में शामिल होने लगी हैं। ज़रूरी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होने लगी है। जैसे: बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू हिंसा, दहेज का लेन-देन, इत्यादि। खुले संवाद से लोकतांत्रिक विषयों पर चर्चा बढ़ी है। शायद पहली बार जनता पुलिस को मित्र के रूप में देख रही है, न कि डंडा दिखाने वाली या पैसा ऐंठने वाली एक संस्था की तरह। इस मंच पर देश के संविधान से लेकर, कोर्ट और पुलिस सभी की भुमिका पर चर्चा होती है।

इस कार्यक्रम के कारण, मधुबन थाने की पारदर्शिता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आम व्यक्ति की बात सुनना और उन्हें उनकी समस्या के निवारण का आश्वासन मिलना अब आम बात है। अब लोग न केवल निर्भय होकर थाने जाते हैं बल्कि इस विश्वास से जाते हैं कि उनकी सही सुनवाई होगी। पुलिस को भी इस कार्यप्रणाली से राहत मिली है, वह अब अपने मुख्य काम पर अधिक ध्यान दे सकती है।

– आभा जोशी

...पृष्ट १ का शेष

कुछ त्यागना भी पड़ा है। जिसमें सबसे बड़ा बलिदान उनके जीवन का है। काम के दौरान बहुत अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की जानें गई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार व्यवस्था ने १९६१-६२ से १९९९-२००० की अवधि में २१, ४२८ पुलिसकर्मियों की जानें ली हैं। पिछले दशक में यह संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। पिछले ६ सालों में १९९१-२००० में ६३८६ पुलिसकर्मियों की काम के दौरान मौत हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। पूरी दुनिया में किसी भी पुलिस बल ने इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है अपनी सुरक्षा की। यहां तक की अमेरिका में भी जहां पुलिस एवं नागरिकों के बीच मुठभेड़ का दर बहुत अधिक है, वहां भी ७० के दशक में कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले अधिकारियों, जिनकी मृत्यु काम के दौरान हुई, वह ११४३ है। ८० के दशक में यह संख्या केवल ८०१ थी। हॉलाकि १९९६-२००० में संख्या ८४५ हो गई थी। आयरलैंड को यूरोप का सबसे हिंसक स्थान माना जाता है, फिर भी यहां पिछले ३० सालों में केवल ३०२ रॉयल आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। ब्रिटेन में १८२९ से स्थापित मेट्रोपोलिटन पुलिस फोर्स में १९८० तक केवल २२० पुलिस अधिकारियों की काम के दौरान मौत हुई है।

किसी पुलिसकर्मी की दुर्भाग्यपुर्ण मौत के बाद दुखी परिवार के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया में पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ है। फिर भी यह काफी नहीं है। पुलिस की भूमिका के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया को अधिक संवेदनशील, विचारशील होने की जरूरत है। पुलिस के हालातों को समझने की भी ज़रूरत है। बहुत हद तक पुलिस विभाग खुद भी अपने लोगों द्वारा काम के दौरान किए जाने वाले त्यागों को व्यापक प्रचार देने में असफल रहा है। इन बलिदानों को याद करने के लिए एक विधिवत रूटीन प्रक्रिया के तहत २१ अक्टुबर को पुलिस शहीदी दिवस मना लिया जाता है और बस नियमित प्रचार पूरा हो जाता है। इस अवसर को पुलिस लाईन से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुंचाना होगा जहां यह दूसरों द्वारा भी एक यादगार के रूप में मनाया जाए।

बहुत अधिक पुलिसकर्मी अपनी जान आतंकवादियों और उग्रवादियों से मुकाबला करते हुए, पुलिस के दूसरे कर्तव्यों जैसे अपराधों का अनुसंधान, विपत्ति के समय के फोन पर जाने के कारण, आरोपियों की पहरेदारी करते हुए, संदिग्ध वाहनों को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरे देशों में, अगर इन हालातों में पुलिसकर्मियों की मौत होती है, तो यह विभाग की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि मुजरिम को हर हालात में गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अपने देश में ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखती है। पुलिसकर्मी देश में कानून और उसकी ताकत की पहचान हैं और जब उनकी मौत किसी बदमाश के हाँथों होती है तो इसी के साथ कानून -व्यवस्था के एक हिस्से की भी मौत हो जाती है।

देश हर साल इतने सारे पुलिसकर्मियों की मौत को सहन नहीं कर सकता। यह ज़रूरी है कि पुलिसकर्मियों को आत्मसुरक्षा के प्रति जागरूक करके और बेहतर ट्रेनिंग तथा हथियार देकर मुश्किल और खतरनाक हालातों में भी बेवजह की हानियों से बचा जाए।

याद रहे, अगर एक पुलिसकर्मी अपनी जान गंवाता है तो, न सिर्फ उसके परिवार को, विभाग को और प्रशासन को बल्कि समाज में हर व्यक्ति को इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि उनका एक संरक्षक कम हो गया।

– नवाज़ कोतवाल

ये हीरो असली है !

डॉ. जॉन वर्गीज़ जॉर्ज, हरियाणा के हाल ही में सेवा निवृत डी.जी.पी. (जेल) एक ऐसे पुलिस अधिकारी रहे हैं जो कि आम पुलिस कर्मियों का अपवाद हैं। जी हां, क्योंकि वह आमतौर से पुलिस जिन कारणों से चर्चा में रहती है उस कारण से कभी चर्चित नहीं रहे बल्कि अपने अच्छे गुणों, बहादुरी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए मशहूर रहे हैं। उनके बारे में हरियाणा के पुर्व मुख्यमंत्री श्री बंसीलालजी ने एक बार कहा था कि डॉ. जार्ज की तरह हरियाणा पुलिस में कोई नहीं और न ही कोई दूसरा जल्द भविष्य में आनेवाला है। डॉ. जार्ज ने अपने कार्य निर्णय में राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव का हमेशा विरोध किया । वह केवल किसी केस की गुणवत्ता और उससे दुखी लोंगों की तकलीफ़ से प्रभावित होते थे।

डॉ. जॉर्ज मूलरूप से केरल के निवासी हैं और आई.पी.एस. ऑफिसर बनने के बाद उनकी पहली बहाली ही हरियाणा के भिवानी जिले में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ए.सी.पी.) के पद पर हुई थी, जहां बड़े पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक नेताओं को धौंस जमाते हुए देखकर वह हैरान रह गए। अपने कार्यकाल में कभी किसी राजनेता का दबाव उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। इस कारण उन्हें निजी तौर पर राजनेताओं ने काफी परेशान भी किया। फिर भी उन्होंने कार्य सम्बन्धित किसी भी निर्णय में राजनीतिक दबाव को बाधा नहीं बनने दिया।

डॉ. जॉर्ज ने जेल विभाग में अपने कार्यकाल में इस बात का ध्यान रखा कि कैदियों को मूल सुविधायें मिलती रहें। उन्होंने कैदियों को शिक्षित करना और उन्हें व्यवासायिक ट्रेनिंग दिलवाना जेल प्रशासन का अहम काम बनाया। उन्होंने जेल नियमावली को आज की ज़रूरतों के अनुसार दोबारा लिखा ताकि जेल सुधार हो सके।

(सौजन्यः मेरीन्युज वेबसाईट, २६ फरवरी २०१०)

लोक पुलिस और आप

पुलिस के बारे में बहुत खबरें छपती हैं। अगर अखबार उठाकर देखें तो जरूर कोई न कोई खबर मिलेगी जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए होंगे।

पुलिस को अपनी बात कहने का कभी मौका नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो यह केवल १० प्रतिशत ऊपर के अधिकारियों तक सीमित है। वह भी शायद अपनी बात सेवा निवृति के बाद ही कह पाते हैं। इसका पुलिस सुधार या कामकाज पर कितना असर होता है यह शोध का विषय हो सकता है। भारत में लगभग १४ लाख पुलिस कर्मचारी हैं इसमें लगभग ८८: वे हैं जिन्हें कांस्टेबुलरी कहा जा सकता है यानि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे दर्जे के कर्मचारी। अगर देखा जाए तो कांस्टेबुलरी पुलिस कामकाज की रीढ़ की हड्डी है यही वह लोग हैं जिन पर पुलिस व्यवस्था की नींव टिकी है।

लोक पुलिस एक प्रयास है नीचे दर्जे के पुलिस कर्मियों यानि आप तक पहुंचने का। आपकी समस्याऐं जानने का, आपका अच्छा बुरा अनुभव हमारे साथ बांटने का। हम अक्सर सुनते हैं पुलिस ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की एक पक्षीय राय है जिसने कभी पुलिस में नौकरी नहीं की, कभी जोखिम या दबाव नहीं सहा। आप जो पुलिस विभाग में २४ घंटे काम करते हैं, आप क्या सोचते हैं पुलिस व्यवस्था में कहां और कैसे सुधार की जरूरत है? पुलिस कैसी होनी चाहिए आप किस तरह की पुलिस का हिस्सा बनना चाहेंगे?

लोक पुलिस एक कोशिश है आपकी बात लोगों व विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने का। आप अपनी राय या सुझाव नाम सहित या अज्ञात निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

प्रधान संपादकः ज़ीनत मलिक
लोक पुलिस, बी ११७ सैकंड फ्लोर, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-१७